

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 16/2022

अनवान : -

1. रामेश्वरलाल पुत्र च्यानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
2. डालुराम पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. दुलाराम पुत्र मनसुखराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. अभिमन्यु पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
4. रूबिना पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
5. भंवरलाल पुत्र मनसुखराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
6. कानाराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
7. हरिसिंह पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
8. श्योनारायण पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
9. कैलाश पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
10. जयसिंह पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
11. रामलाल उर्फ रामसिंह पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
12. देवेन्द्र पुत्र रामलाल उर्फ रामसिंह जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
13. बलवीर पुत्र रामलाल उर्फ रामसिंह जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
14. सुल्तान पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
15. चम्पालाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
16. महेन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- असल प्रतिवादीगण

18. हंसराज पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
19. भादरराम पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
20. जोतराम पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
21. लिछमा पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
22. गिरदावरी पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
23. सरस्वती पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
24. गीता पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
25. बिमला पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
26. दानाराम पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
27. जगदीश पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
28. गिरधारी पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
29. शंकरलाल पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
30. प्रभूराम पुत्र मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
31. हरजीराम पुत्र मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
32. सुरेश कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
33. जैता पत्नी मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
34. पारी पुत्री मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
35. रामप्यारी पुत्री मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
36. सोना पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
37. ज्याना पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
38. पेपा पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।

11

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

39. सरस्वती पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।

—तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीगण
श्री अजय गुरु अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 06/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के ख0न0 20 मीन की कुल तादादी 100 बीघा, ख0न0 135 मीन की 30 बीघा 13 बिस्वा, साबिका ख0न0 161 मिन की 90 बीघा, साबिका ख0न0 196 मीन की 68 बीघा 07 बिस्वा कुल 296 बीघा भूमि स्थित थी जिसके भीया पुत्र बिरजा जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे। रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के साबिका ख0न0 196 मिन की 68 बीघा 07 बिस्वा भूमि में से 55 बिघा 10 बिस्वा भूमि भीया पुत्र बिरजाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर ने दिनांक 19.07.1965 को जरिये बैयनामा काशीराम, च्यानणराम पिता नेतराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर को बैयनामा करवा दिया था तथा वरवक्त बैयनामों के समय ही कब्जा सम्भला दिया था। काशीराम, च्यानणराम पुत्रगण नेतराम ने समस्त प्रतिफल अदा कर दिया था। वरवक्त बैयनामों के समय सैटलमेण्ट यानि भू प्रबन्धक विभाग की कार्यवाही विचाराधीन थी चुंकी बैयनामा सैटलमेण्ट विभाग की कार्यवाही के दौरान करवाया गया था एवं साबिका खसरा न0 196 मीन गत भू प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल ख0न0 467 की 55 बीघा 9 बिस्वा भूमि में परिवर्तित व पैमूद कर दिया गया।

वादीगण के पितागण काशीराम व च्यानणराम द्वारा रोह मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के साबिका ख0न0 196 मीन की 55 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद की गई थी जो की हाल खसरा न0 467 की 14.0228 भूमि में परिवर्तित व पैमूद हो चुकी है तथा च्यानणराम पुत्र नेतराम के नाम से 12461/15343 हिस्सा यानि 6.2305 हैक्ट भूमि व काशीराम पुत्र नेतराम के नाम 31153/388355 हिस्सा यानि 6.2306 हिस्सा दोनो का बहिब कुल 12.4611 हैक्ट यानि 49 बिघा 05 बिस्वा भूमि हिस्से में आई यानि 6.05 बीघा भू- प्रबन्धक विभाग द्वारा वादीगण के पूर्वजों के नाम कृषि भूमि कम दर्ज कर दी जबकि भू प्रबन्धक विभाग को सैटलमेण्ट की इन्ट्री को रिपिट करने का अधिकारी था किसी भी काश्तकार की कृषि भूमि कम अथवा ज्यादा दर्ज का अधिकार नहीं था।

काशीराम, च्यानणराम पुत्रगण नेतराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर दोनो ही फौत हो चुके हैं तथा उनके वारिसान वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 है तथा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 है तथा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 वर्तमान के वादग्रस्त भूमि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के

खाता संख्या 467 की 14.0288 हैक्ट भूमि कब्जा काशत में है तथा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 वर्तमान जमाबंदी दुरुस्त करवाकर रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 120/108 के ख0न0 467 की 14.0288 हैक्ट भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 के नाम दर्ज कृषि भूमि उनके हक व हिस्से से कम करवाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 25, 33 ता 39 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 व 26 ता 39 व 30 ता 32 की बहिन, बुआ व माता है तथा अपने परिवार से अत्यधिक स्नेह होने के कारण उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20, 26 ता 32 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 120/108 के ख0न0 467 की 14.0288 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20 बहिब 1/2 हिस्सा भूमि, वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 26 ता 29 प्रत्येक 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 30 ता 32 बहिब 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार है व शेष रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 120/108 की कुल 63.6422 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 5.8709 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 3.7006 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 3.8819 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 प्रत्येक 6.6009 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 प्रत्येक 3.7725 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 11 ता 12 प्रत्येक 3.7717 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 3.7725 हैक्ट, प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 16 प्रत्येक 2.3172 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेगे। इसी अनुसार वादीगण जमाबंदी दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 की तरफ से अधिवक्ता श्री अजय गुरु ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 को काई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की साक्ष्य सबूतों के आधार पर एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जवाब शामिल मिसल किया

01

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी, मूल बैयनामा व बैयनामा की चित्रप्रति, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र काशीराम, च्यानणराम, मेहरचन्द, सदस्य प्रमाण पत्र चानणराम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के साबिका ख0न0 196 मिन की 68 बीघा 07 बिस्वा भूमि में से 55 बिघा 10 बिस्वा भूमि भीया पुत्र बिरजाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर ने दिनांक 19.07.1965 को जरिये बैयनामा काशीराम, च्यानणराम पिता नेतराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर को बैयनामा करवा दिया था तथा वरवक्त बैयनामें के समय ही कब्जा सम्भला दिया था। काशीराम, च्यानणराम पुत्रगण नेतराम ने समस्त प्रतिफल अदा कर दिया था। वरवक्त बैयनामें के समय सैटलमेण्ट यानि भू प्रबन्धक विभाग की कार्यवाही विचाराधीन थी चुंकी बैयनामा सैटलमेण्ट विभाग की कार्यवाही के दौरान करवाया गया था एवं साबिका खसरा न0 196 मीन गत भू प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल ख0न0 467 की 55 बीघा 9 बिस्वा भूमि में परिवर्तित व पैमूद कर दिया गया। वादीगण के पितागण काशीराम व च्यानणराम द्वारा रोह मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के साबिका ख0न0 196 मीन की 55 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद की गई थी जो की हाल खसरा न0 467 की 14.0228 भूमि में परिवर्तित व पैमूद हो चुकी है तथा च्यानणराम पुत्र नेतराम के नाम से 12461/15343 हिस्सा यानि 6.2305 हैक्ट भूमि व काशीराम पुत्र नेतराम के नाम 31153/388355 हिस्सा यानि 6.2306 हिस्सा दोनो का बहिब कुल 12.4611 हैक्ट यानि 49 बिघा 05 बिस्वा भूमि हिस्से में आई यानि 6.05 बीघा भू- प्रबन्धक विभाग द्वारा वादीगण के पूर्वजों के नाम कृषि भूमि कम दर्ज कर दी जबकि भू प्रबन्धक विभाग को सैटलमेण्ट की इन्ट्री को रिपिट करने का अधिकारी था किसी भी काश्तकार की कृषि भूमि कम अथवा ज्यादा दर्ज का अधिकार नहीं था। वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 वर्तमान जमाबंदी दुरुस्त करवाकर रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 120/108 के ख0न0 467 की 14.0288 हैक्ट भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 के नाम दर्ज कृषि भूमि उनके हक व हिस्से से कम करवाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 25, 33 ता 39 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 व 26 ता 39 व 30 ता 32 की बहिन, बुआ व माता है तथा अपने परिवार से अत्यधिक स्नेह होने के कारण उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20, 26 ता 32 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को

01

स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद मुताबिक बैयनामा डिक्री फरमाया जावें।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 120/108 की कुल 77.6710 हैक्ट भूमि वादीगण के पिता कमश काशी व चानण पुत्रगण नेतराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के साबिका ख0न0 196 मिन की 68 बीघा 07 बिस्वा भूमि में से 55 बिघा 10 बिस्वा भूमि भीया पुत्र बिरजाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर ने दिनांक 19.07.1965 को जरिये बैयनामा काशीराम, च्यानणराम पिता नेतराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर को बैयनामा करवा दिया था साबिका खसरा न0 196 मीन गत भू प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल ख0न0 467 की 55 बीघा 9 बिस्वा भूमि में परिवर्तित व पैमूद हो चुका है वादीगण के पिता कमश काशीराम व च्यानणराम का देहांत हो चुका है। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 25, 33 ता 39 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 39 व 26 ता 39 व 30 ता 32 की बहिन, बुआ व माता है तथा अपने परिवार से अत्यधिक स्नेह होने के कारण उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20, 26 ता 32 के पक्ष में परित्याग कर दिया है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामा से स्पष्ट है कि उक्त वादभूमि में से वादीगण के पितागण काशी व च्यानण द्वारा उक्त वाद भूमि खरीद की है जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता के नाम के मुताबिक बैयनामा भूमि दर्ज न होकर कम भूमि दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त वाद भूमि वादीगण के पिता के नाम मुताबिक बैयनामा दर्ज न होकर कम दर्ज हुई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार काशीराम व च्यानण के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता ईकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 120/108 के ख0न0 467 की 14.0288 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20 बहिब 1/2 हिस्सा

एवं वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 26 ता 29 प्रत्येक 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 30 ता 32 बहिब 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 120/108 की कुल 63.6422 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 5.8709 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 3.7006 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 3.8819 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 प्रत्येक 6.6009 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 प्रत्येक 3.7725 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 11 ता 12 प्रत्येक 3.7717 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 3.7725 हैक्ट, प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 16 प्रत्येक 2.3172 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 16/2022

अनवान : -

1. रामेश्वरलाल पुत्र च्यानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
2. डालुराम पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. दुलाराम पुत्र मनसुखराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. अभिमन्यु पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
4. रुबिना पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
5. भंवरलाल पुत्र मनसुखराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
6. कानाराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
7. हरिसिंह पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
8. श्योनारायण पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
9. कैलाश पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
10. जयसिंह पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
11. रामलाल उर्फ रामसिंह पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
12. देवेन्द्र पुत्र रामलाल उर्फ रामसिंह जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
13. बलवीर पुत्र रामलाल उर्फ रामसिंह जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
14. सुल्तान पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
15. चम्पालाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
16. महेन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- असल प्रतिवादीगण

18. हंसराज पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
19. भादरराम पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
20. जोतराम पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
21. लिछमा पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
22. गिरदावरी पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
23. सरस्वती पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
24. गीता पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
25. बिमला पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
26. दानाराम पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
27. जगदीश पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
28. गिरधारी पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
29. शंकरलाल पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
30. प्रभूराम पुत्र मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
31. हरजीराम पुत्र मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
32. सुरेश कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
33. जैता पत्नी मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
34. पारी पुत्री मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
35. रामप्यारी पुत्री मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
36. सोना पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
37. ज्याना पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।

38. पेपा पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
39. सरस्वती पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।

—तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 16 सन 2022 निर्णय दिनांक - 06/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 120/108 के ख0न0 467 की 14.0288 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20 बहिब 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 26 ता 29 प्रत्येक 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 30 ता 32 बहिब 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा शेष रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 120/108 की कुल 63.6422 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 5.8709 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 3.7006 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 3.8819 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 प्रत्येक 6.6009 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 प्रत्येक 3.7725 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 11 ता 12 प्रत्येक 3.7717 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 3.7725 हैक्ट, प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 16 प्रत्येक 2.3172 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर